

न्यायालय जिला न्यायाधीश, बुलन्दशहर

सिविल अपील संख्या 02 सन् 2026,

अब्दुल माजिद आदि बनाम अब्दुल माजिद आदि

दिनांक 26.08.2026.

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पत्रावली वास्ते बहस नियत है।

बार-बार पुकार पर कोई उपस्थित नहीं हैं और न ही कोई स्थगन प्रार्थनापत्र ही दिया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विगत नियत दिनांक 07.08.2026 को भी उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं था। अतः प्रस्तुत सिविल अपील अपीलार्थी की अनुपस्थिति में खारिज किये जाने योग्य है। तदनुसार प्रस्तुत सिविल अपील अपीलार्थी की अनुपस्थिति के कारण निरस्त की जाती है।

तलविदा पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय को अविलम्ब वापस की जाये।

जिला न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।